टेलिफोन/Telephone: +91-22-25990656
फॅक्स /Fax: +91-22-25990650
ई-मेल/ E-mail: head.drac@aerb.gov.in
वेबसाइट / Website: www.aerb.gov.in

नियामक भवन / NIYAMAK BHAVAN
अणुशक्तिनगर / ANUSHAKTINAGAR
मुंबई / MUMBAI - 400 094

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

ISO 9001: 2008

डॉ. ए. यू. सोनावणे
प्रमुख, नियामक मामले एवं
संचार निदेशालय

Dr. A. U. Sonawane
Head, Directorate of Regulatory
Affairs & Communications

Ref. No. AERB/DRA&C/4.1 /2018/07

Date: January 11, 2018

प्रेस विज्ञप्ति

एईआरबी ने चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे सुविधाओं हेतु विकिरण संरक्षा निदेशालय के गठन के लिए आंध्र प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे सुविधाओं हेतु विकिरण संरक्षा निदेशालय (डीआरएस) के गठन के लिए दिनांक 04.01.2018 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य के माननीय मुख्य मंत्री, श्री चंद्रबाबू नायडू समझौता ज्ञापन सौंपने के अवसर पर उपस्थित थे।

डीआरएस, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचडब्ल्यूएफडब्ल्यू) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। यह समझौता ज्ञापन डॉ.पूनम मालकोण्डहिया, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचडब्ल्यूएफडब्ल्यू) तथा डॉ.ए.यू.सोनावणे, प्रमुख नियामक मामले एवं संचार, एईआरबी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

डीआरएस के गठन का उद्देश्य है राज्य में संस्थापित चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे उपकरणों जैसे कि रेडियोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, कैथलैब, सीटी उपकरण, दंत चिकित्सा उपकरण आदि के निरीक्षण द्वारा एईआरबी की तरफ से संरक्षा ऑडिट करने के लिए आंध्र प्रदेश के डीआरएस को अधिकृत करना। इससे एक्स रे परीक्षणों के दौरान औद्योगिक कार्मिकों, रोगियों तथा आम लोगों की विकिरण से संरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

यह सर्वविदित है कि चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे उपकरणों का प्रयोग पूरे देश में बहुतायत से किया जाता है। यद्यपि चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे उपकरण कम विकिरण जोखिम क्षमता वाले होते हैं फिर भी उनका संस्थापन एवं प्रचालन एईआरबी द्वारा निर्धारित विकिरण संरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।

एईआरबी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठा रहा है कि चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे उपकरणों के प्रयोक्ता परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत लागू परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियमावली, 2004 का अनुपालन करें। इस संबंध में एईआरबी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य हैं; लाइसेंस जारी करने के लिए वेब आधारित सिस्टम, "न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन" का पूर्ण अनुपालन, मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे कि अखबार तथा रेडियो आदि के माध्यम से जागरुकता फैलाना तथा विभिन्न राज्यों में डीआरएस का गठन।

वर्तमान में छ: राज्यों में राज्य स्तरीय डीआरएस गठित हैं ये राज्य हैं; केरल, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब तथा अरुणाचल प्रदेश, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडीशा, तमिलनाडू, पश्चिमी बंगाल एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।

यद्यपि महाराष्ट्र की सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं परंतु अभी तक राज्य में चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे उपकरणों की संरक्षा ऑडिट करने के लिए एईआरबी से प्राधिकार प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

(ए. यू. सोनवणे)